**राज्यों में पुलों के निर्माण संबंधी मानदंड**

1425. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में पुलों के निर्माण के लिए मानदंड क्या हैं;

(ख) पिछले वर्ष कौन-कौन से राज्य-वार कहां-कहां पुल निर्माणाधीन थे; और

(ग) इन पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के लिए मानदंड इस प्रकार हैं :—

(1) वे भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा तथा विनिर्दिष्ट श्रेणी 70 आर का भार ढोने के लिए सुरक्षित होंगे;

(2) उनकी न्यूनतम 7.5 मीटर चौडाई का कैरिजवे होना चाहिए, और

(3) वे निमज्जक नहीं होने चाहिएं।

ऐसे उन सभी पुलों का निर्माण पारस्परिक प्राथमिकता और उपलब्ध निधियों के अध्याधीन किया जाता है जो उक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है । [**देखिए** परिशिष्ट 164, अनुपत्र सं० 27]

**राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उत्तर प्रदेश को धन का आवंटन**

1426. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि से उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) इस निधि के कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सहायता प्रदान की गई ; और

(ग) वर्ष 1992–93 के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी परियोजनाओं का कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है और उनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) चूंकि केंद्रीय सड़क निधि में अभी तक, ससद द्वारा दिनांक 13–5–1988 को पारित संशोधित संकल्प के अनुरूप वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है इसलिए केंद्रीय सड़क निधि के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दी गई है । तथापि पहले से ही अनुमोदित योजनाओं के लिए इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सडक निधि के तहत निम्नलिखित राशियां जारी की गई थीं :

(लाख रु०)

| वर्ष | जारी की गई निधियां |
|---|---|
| 1989–90 . . | 315.00 |
| 1990–91 . . | 250.00 |
| 1991–92 . . | — |

(ख) चूंकि संशोधित संकल्प के अनुरूप केंद्रीय सड़क निधि में अभी तक वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है जिसके अंतर्गत प्रोद्भूत राशि के 35/2% भाग को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव हेतु प्रयोग किए जाने का प्रावधान है इसलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण अथवा उनकी मरम्मत के लिए केंद्रीय सड़क निधि में से किसी भी कार्य को स्वीकृति नहीं दी गई है ।

(ग) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992-93 के दौरान शुरू किए जाने वाले प्रस्ताव और उनके लिए आवंटित की जाने वाली संभावित राशि अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्ध मुक्त अधिशेष और राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्तावों पर निर्भर करेगी ।

**उत्तर प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता**

1427. **श्री ईश दत्त यादव :** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने तथा ऋण देने के लिए विदेशी तथा विश्व बैंक की सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर):** (क) जी, हां ।

(ख) (i) पहली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण के अंतर्गत गंगा नदी पर वाराणसी बाईपास के निर्माण हेतु जिसमें मुख्य पुल शामिल है, 21.32 मिलियन अमरीकी डालर की व्यवस्था की गई है ।

(ii) पहली सड़क सुधार परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक ऋण के अंतर्गत रा०रा० 2 पर हरियाणा बार्डर मथुरा खंड को चार लेन का बनाने और मजबूत करने के लिए 24.33 मिलियन अमरीकी डालर की व्यवस्था की गई है ।

(iii) सोनाली-गोरखपुर-बलिया और फैजाबाद-इलाहाबाद-दोहरीघाट सडकों के पुर्नस्थापन के लिए एशियाई विकास बैंक ऋण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए 85.7 मिलियन अमरीकी डालर की व्यवस्था की गई है ।

(iv) दूसरी सड़क परियोजना हेतु एशियाई विकास बैंक ऋण के अंतर्गत वाराणसी शक्तिनगर राज्य सडक के सुधार के लिए 30.92 मिलियन अमरीकी डालर की व्यवस्था की गई है ।

(v) जापान से मिलने वाली 4,855 मिलियन जापानी येन की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अंतर्गत, रा०रा० संख्या 2 के मथुरा आगरा खंड को 4 लेन का बनाये जाने की व्यवस्था है ।

**कुल्लू में पुल और उप-मार्ग का निर्माण**

1428. **श्री महेश्वर सिंह :**
**श्री सुशील बरोंगपा :**

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुल्लू शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर उपमार्ग और पुलों के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्राक्कलन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्राक्कलन प्राप्त हुआ था ; और

(ग) सरकार ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) जी, हां ।

(ख) दो पुलों सहित कुल्लू बाईपास के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से अक्टूबर, 1991 में प्राप्त हुई जिसे बाद में जनवरी, 1992 में उनके द्वारा अद्यतन कर दिया गया ।

(ग) परियोजना मूल्यांकन की अवस्था में है ।